प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा</u>

<u>दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 1102/1998</u>

भीखम राम खांडेय

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

(वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक 04.01.2012 को सूचीबद्ध करें।</u>

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 1102/1998

आवेदक	:	भीखम राम खांडेय, पिता – भगतराम खांडेय, निवासी – ग्राम तखतपुर, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर, मध्यप्रदेश (अब छत्तीसगढ़)
		बनाम
उत्तरवादी अनावेदक	:	मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा थाना प्रभारी, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर, मध्यप्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 सहपठित धारा 401 के अंतर्गत दांडिक पुनरीक्षण)

उपस्थित:

आवेदक की ओर श्री राजीव श्रीवास्तव,, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री आर आर सिन्हा, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(14 जनवरी, 2012)

(1) यह पुनरीक्षण दिनांक 11 सितंबर 1998 को षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 2/98 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत है। आक्षेपित निर्णय में, आवेदक द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 113/95 में पारित निर्णय और आदेश 27 दिसंबर, 1997 के विरुद्ध

प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया है, जिसके द्वारा आवेदक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया था।

(2) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :–

भकला राम (अ.सा.-9), राम कुमार (अ.सा.-1) का चचेरा भाई है। दोनों बेरोजगार थे। आवेदक, मिडिल स्कूल तखतपुर में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत था। सन्1987 जुलाई के महीने में, आवेदक ने राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) से मुलाकात की और उनके लिए नौकरी का प्रबंध करने के बदले प्रत्येक से 15,000/- रुपये की मांग की। वास्तव में, उसने उनके साथ छल किया और राम कुमार (अ.सा.-1) तथा भकला राम (अ.सा.-9) प्रत्येक से 12,500/- रुपये वसूल किए। उसने उन्हें शिक्षक या लिपिक की नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) ने अपनी अचल संपत्ति बेचकर रुपयों की व्यवस्था की थी। धनराशि वसूलने के बाद, एक दिन आवेदक उन्हें बिलासपुर ले गया। वह उन्हें उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय ले गया, उन्हें कार्यालय के सामने बैठाया और स्वयं कार्यालय के अंदर चला गया। 10 मिनट के बाद, आवेदक एक व्यक्ति के साथ कार्यालय से बाहर आया। उसने उस व्यक्ति का परिचय जिला शिक्षा अधिकारी के 'रीडर' के रूप में कराया और परिवादीगण से कहा कि उनका काम हो जाएगा। आवेदक ने राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) को अपनी फोटो की 3 प्रतियां, जाति-प्रमाणपत्र, अंक-सूचियों की प्रतिलिपि और पंजीकरण संख्या आदि लाने को कहा। 4-5 दिनों के बाद राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) उपरोक्त दस्तावेजों के साथ आवेदक से मिले। उन्होंने अपने दस्तावेज आवेदक को सौंप दिए, जिस पर आवेदक ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया और कहा कि अब उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें जल्द ही रोजगार मिल जाएगा। जब लगभग 1-1½ महीने तक कुछ पता नहीं चला, तो राम कुमार (अ.सा.-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1) और भकला राम (अ.सा.-9) फिर से तखतपुर गए और आवेदक से मिले। इस बार आवेदक ने उन्हें एक पोस्ट-कार्ड दिखाया और राम कुमार (अ.सा.-1) से कहा कि उसका काम हो गया है और उसे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। राम कुमार (अ.सा.-1) पोस्ट-कार्ड लेकर अपने गाँव लौट आया। इसके बाद राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) कई बार आवेदक से मिले, जो उन्हें हमेशा आश्वासन देता रहा। काफी समय तक कुछ न होने पर, राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) पूर्व विधायक शिव प्रसाद (अ.सा.-18) के पास गए और वे सभी आवेदक से मिले। उन्होंने अपने धनराशि की मांग की, जिस पर आवेदक ने एक महीने के भीतर उनके धनराशि वापस करने का आश्वासन दिया। जब आवेदक ने उनकी धनराशि वापस नहीं की, तो राम कुमार (अ.सा.-1) ने थाना तखतपुर में एक लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई, जिस पर आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 468 के तहत अपराध क्रमांक 47/88 पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान भूमि के संव्यवहार से संबंधित विभिन्न स्टांप पेपर जब्त किए गए ताकि यह दर्शित किया जा सके कि राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) द्वारा सुसंगत समय पर अपनी अचल संपत्तियां बेचकर धन का प्रबंधन किया गया था। आवेदक द्वारा राम कुमार (अ.सा.-1) को सौंपा गया पोस्ट-कार्ड भी जब्त कर लिया गया। लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-1) में, राम कुमार (अ.सा.-1) ने एक अश्वनी कुमार (अ.सा.-6) का भी उल्लेख किया था, जिसके बारे में आवेदक ने उसे बताया था कि अश्वनी कुमार (अ.सा.-6) 10वीं फेल था और आवेदक ने उसके लिए 11वीं पास का प्रमाण पत्र का प्रबंध किया था और उसने संबंधित संस्थान से स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था जिसमें अश्वनी कुमार (अ.सा.-6) को 11वीं पास दिखाया गया था। उपरोक्त शिकायत के बाद विवेचना के दौरान ये दस्तावेज भी जब्त किए गए और राम कुमार (अ.सा.-1), भकला राम (अ.सा.-9) और अश्वनी कुमार (अ.सा.-6) के साथ उक्त तरीके से छल करने का एक समेकित अभियोग-पत्र आवेदक के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"विद्वान मजिस्ट्रेट ने मुख्य रूप से राम कुमार (अ.सा.-1), अश्वनी कुमार (अ.सा.-6) और भकला राम (अ.सा.-9) के साक्ष्यों पर भरोसा किया और यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक ने उपरोक्त तरीके से उनके साथ छल किया था, इसलिए, वह भा. दं. सं. की धारा 420 के तहत दंड का पात्र था। इस प्रकार, आवेदक को भा. दं. सं. की धारा 420 के तहत दंडित किया गया और 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया, साथ ही अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 1 महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया, जिसकी अपील में पुष्टि की गई थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि देव नारायण एक महत्वपूर्ण साक्षी थे, जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था; विवेचना अधिकारी का भी अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था; प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में विलंब हुआ था ; विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए कथन पर भरोसा किया है; और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए अभियोजन का पूरा प्रकरण विफल हो जाता है।

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री आर.आर. सिन्हा ने इन तर्कों का विरोध किया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि देव नारायण कोई महत्वपूर्ण साक्षी नहीं थे; राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) द्वारा उपरोक्त तरीके से धनराशि दिया जाना उनके साक्ष्य और बसंत कुमार (अ.सा.-7) के साक्ष्य से पूरी तरह स्थापित हो गया था। धन प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति भी शिव प्रसाद पटेल (अ.सा.-18) के साक्ष्य से स्थापित हुई थी।

(5) मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(6) श्री श्रीवास्तव के अनुसार, देव नारायण एक महत्वपूर्ण साक्षी थे जिनका अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। देव नारायण वह व्यक्ति थे जिनके घर पर परिवादीगण ने आवेदक से मुलाकात की थी और आवेदक ने प्रत्येक परिवादी से 15,000/- रुपये की मांग की थी। इसलिए, देव नारायण परिवादीगण के लिए सरकारी नौकरी का प्रबंध करने के बहाने आवेदक द्वारा धन की मांग किए जाने के साक्षी थे। यदि अन्य साक्ष्यों द्वारा अभियोजन पक्ष राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) के साथ छल करके आवेदक द्वारा धन की मांग और उसे प्राप्त करने को साबित करने में सक्षम था, तो देव नारायण का परीक्षण न होना, जो केवल छल के आधार पर मांग के साक्षी थे, अभियोजन के लिए घातक नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बातचीत के बाद, आवेदक राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) प्रत्येक से 12,500/- रुपये लेने के लिए सहमत हो गया था और उसने उनके माता-पिता और बसंत कुमार (अ.सा.-7) के सामने उनके साथ छल कर उक्त राशि प्राप्त की थी। इस आशय के साक्ष्य भी मौजूद हैं कि राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) द्वारा धन का प्रबंधन कैसे किया गया था। यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि उपरोक्त राशि आवेदक द्वारा इस बहाने प्राप्त की गई थी कि वह राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) के लिए शासकीय सेवा का प्रबंध करेगा। बसंत कुमार (अ.सा.-7) एक स्वतंत्र साक्षी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि 24 जुलाई 1987 को वह सेवा राम, राम कुमार (अ.सा.-1), भकला राम (अ.सा.-9), गंगदेव और सतन राम के साथ ग्राम तखतपुर में आवेदक के घर गए थे और राम कुमार (अ.सा.-1) तथा भकला राम (अ.सा.-9) दोनों ने आवेदक को 25,000/- रुपये दिए थे, जिसे आवेदक ने उनके लिए शासकीय सेवाओं का प्रबंध करने के नाम पर लिया था। राम कुमार (अ.सा.-1), भकला राम (अ.सा.-9) और बसंत कुमार (अ.सा.-7) के उपरोक्त स्पष्ट और अकाट्य साक्ष्यों के आलोक में, देव नारायण का परीक्षण न किया जाना अभियोजन के मामले में कोई अंतर पैदा नहीं करेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) दर्ज करने में हुए विलंब के संबंध में, अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि आवेदक जुलाई 1987 के महीने में परिवादीगण से मिला था और फिर परिवादीगण ने अपनी अचल संपत्तियों को बेचकर कर धन का प्रबंध किया और आवेदक को 25,000/- रुपये (प्रत्येक को 12,500/- रुपये) का भुगतान किया। इसके बाद आवेदक ने उन्हें कई बार बुलाया और वह उन्हें उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय भी ले गया और उसने हमेशा उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द ही रोजगार मिल जाएगा। जब आवेदक ने काफी लंबे समय तक राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) के लिए शासकीय नौकरी का प्रबंध नहीं किया, तब दोनों पूर्व विधायक शिव प्रसाद (अ.सा.-18) से मिले। शिव प्रसाद (अ.सा.-18) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) के साथ ग्राम तखतपुर में आवेदक के घर गए और उससे कहा कि या तो वह परिवादीगण के लिए नौकरी का प्रबंध करे या उनकी राशि वापस करे। इस पर आवेदक ने परिवादीगण की राशि वापस करने के लिए एक महीने का समय लिया। एक महीने के बाद शिव प्रसाद (अ.सा.-18) और दोनों परिवादीगण अर्थात राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) पुनः आवेदक के घर गए। इस बार आवेदक ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस पर शिव प्रसाद (अ.सा.-18) ने राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) को आवेदक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया और उनके साथ थाने गए और प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई गई। शिकायत प्रदर्श पी-1 है जो वास्तव में 11.3.88 को दर्ज की गई थी। उपरोक्त स्वाभाविक घटनाक्रम के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में विलंब हुआ था। वास्तव में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन उसी दिन दर्ज की गई थी जिस दिन आवेदक ने परिवादीगण और शिव प्रसाद (अ.सा.-18) के प्रति अपना नकारात्मक रवैया दिखाया था और उन्हें नहीं पहचाना था, जो राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) को धनराशि वापस करने के संबंध में आवेदक की ओर से एक इनकार था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(8) यह सत्य है कि इस मामले में विवेचना अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है और प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई है, लेकिन केवल इन आधारों पर अभियोजन की विफलता के कारण अभियोजन के पूरे मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन को जल्द से जल्द न भेजना या उसे बिल्कुल न भेजना ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो यह संदेह करने का उचित आधार प्रदान करती हैं कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन उल्लेखित तिथि और समय से काफी बाद में दर्ज की गई थी, जिससे अभियोजन पक्ष को अपने मामले में सुधार और अतिशयोक्ति शामिल करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। विवेचना अधिकारी द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण विवेचन या चूक या लोप अपने आप में अभियोजन के पूरे मामले को खारिज करने का आधार नहीं होगा, विशेष रूप से तब जब अभियोजन स्वतंत्र, तर्कसंगत, निर्णायक और विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा अपना मामला साबित करने में सक्षम रहा हो। निःसंदेह, सावधानी यह है कि इस प्रकृति के मामले में साक्ष्यों की विवेचना करते समय न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) श्री श्रीवास्तव यह स्पष्ट नहीं कर सके कि विवेचना अधिकारी का परीक्षण न किए जाने से आवेदक को क्या हानि हुई। मैंने सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन किया है। इन साक्ष्यों में ऐसा कोई सारवान विरोधाभास नहीं है जिसके लिए बचाव पक्ष को विवेचना अधिकारी से स्पष्टीकरण लेने की आवश्यकता पड़े। वास्तव में, विवेचना अधिकारी के परीक्षण के अभाव में हानि का कोई मामला नहीं बनता है, और इसलिए, मामले के उक्त तथ्यों और परिस्थितियों में विवेचना अधिकारी का परीक्षण न होना आवेदक के बचाव के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं कहा जा सकता। राम कुमार (अ.सा.-1), भकला राम (अ.सा.-9) और बसंत कुमार (अ.सा.-7) के साक्ष्यों की विवेचना करने से यह स्थापित हो गया था कि आवेदक ने परिवादीगण के साथ छल किया और उन्हें शासकीय सेवा दिलाने का प्रबंध करने के लिए 25,000/- रुपये प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त, शिव प्रसाद (अ.सा.-18) के साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि आवेदक ने राम कुमार (अ.सा.-1) और

भकला राम (अ.सा.-9) को उपरोक्त धन वापस करने का वादा किया था और अंततः उसने उन्हें धन वापस करने से इनकार कर दिया। निस्संदेह, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सामान्यतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के प्रावधानों का पालन न करना अभियोजन के मामले पर संदेह की छाया डाल सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, उपरोक्त अभियोजन साक्ष्यों, अर्थात राम कुमार (अ.सा.-1), भकला राम (अ.सा.-9), बसंत कुमार (अ.सा.-7) और शिव प्रसाद (अ.सा.-18) के तर्कसंगत, निर्णायक और विश्वसनीय साक्ष्यों के आलोक में अभियोजन के पूरे मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है। मेरा यह मत है कि उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध के सभी आवश्यक तत्व 'युक्तियुक्त संदेह से परे' सिद्ध हो गए थे और उक्त तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, वर्तमान मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के प्रावधानों का पालन न करना अभियोजन के लिए घातक नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) श्री श्रीवास्तव ने अंत में यह तर्क दिया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज आवेदक के अभिकथनों पर भरोसा किया है, इसलिए निर्णय दूषित हो जाता है। उन्होंने '**देवेंद्र कुमार सिंगला बनाम बलदेव कृष्ण सिंगला, (2005) 9 एससीसी 15**' के निर्णय का संदर्भ दिया। उक्त निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिया गया कथन साक्ष्य नहीं है। यह केवल अभियुक्त का पक्ष या स्पष्टीकरण का एक तरीका है, जब उसके विरुद्ध आने वाली अभियोगात्मक सामग्रियों को उसके संज्ञान में लाया जाता है। मुझे उपरोक्त विधिक सिद्धांत के विषय में कोई संदेह नहीं है, लेकिन श्री श्रीवास्तव का तर्क भ्रामक प्रतीत होता है। श्री श्रीवास्तव ने विचारण न्यायालय के निर्णय के कंडिका-9 का उल्लेख किया है जिसमें विद्वान विचारण न्यायाधीश ने आवेदक से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसके परीक्षण में पूछे गए 2 प्रश्नों, अर्थात प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के उत्तरों का संदर्भ दिया है। ये प्रश्न ग्राम फुलवारी में परिवादीगण के साथ आवेदक की पहली मुलाकात और सामान्य बातचीत से संबंधित हैं जिन्हें आवेदक ने स्वीकार किया था। यह ऐसा

मामला नहीं है कि केवल इस स्वीकृति के आधार पर विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदक ग्रामीणों से मिला था और धन की मांग की गई थी। वास्तव में, इन प्रश्नों में मांग आदि का कोई उल्लेख तक नहीं है। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से राम कुमार (अ.सा.-1) और भकला राम (अ.सा.-9) के मौखिक साक्ष्यों पर आधारित है, जिन पर कोई संदेह नहीं है और जिन्हें दोनों न्यायालयों द्वारा 'विवाद्यक तथ्य' पर विश्वसनीय माना गया है। इसलिए, श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(11) आवेदक पर अश्वनी कुमार (अ.सा.-6) के साथ छल करने के लिए भी अभियोजन चलाया गया था, जिनके बारे में राम कुमार (अ.सा.-1) द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि आवेदक ने उन्हें बताया था कि उसने अश्वनी कुमार (अ.सा.-6) के लिए 11वीं पास के दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं, जबकि अश्वनी कुमार 10वीं फेल था। अश्वनी कुमार (अ.सा.-6) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि आवेदक द्वारा उनके साथ भी छल किया गया था , जिसने 11वीं पास की अंक-सूची दिलाने के लिए उनसे 3,200/- रुपये वसूल किए थे, जबकि वह 10वीं फेल था। विवेचना के दौरान अश्वनी कुमार (अ.सा.-6) को 11वीं पास दिखाने वाली कथित कूटरचित अंक-सूची और स्थानांतरण प्रमाणपत्र भी जब्त किए गए थे। संबंधित संस्थान के साक्षियों का परीक्षण यह दर्शाने के लिए किया गया था कि अश्वनी कुमार ने उनके संस्थान में कभी अध्ययन नहीं किया था और उन्होंने उनके संस्थान से कभी कक्षा-11वीं उत्तीर्ण नहीं किया था, जिससे कि अश्वनी कुमार के नाम पर उन्हें 11वीं पास दिखाते हुए अंक-सूची या स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी किया जा सके। विचारण न्यायालय द्वारा अश्वनी कुमार (अ.सा.-6) के साथ छल के उपरोक्त उदाहरण को भी उचित रूप में सिद्ध माना गया था।

(12) 'देवेंद्र कुमार सिंगला' (पूर्वोक्त) के मामले में, जिसका श्री श्रीवास्तव ने भी अवलंब लिया है, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "धारा 420 को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व हैं: (i) छल ; (ii) संपत्ति परिदत्त करने के लिए या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रचने, परिवर्तित करने या नष्ट करने के लिए, या ऐसी किसी भी चीज़ को जो सीलबंद या हस्ताक्षरित है या जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, कपटपूर्वक उत्प्रेरित करना; और (iii) प्रलोभन देते समय अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति/दोषपूर्ण आशय। धारा 420 के तहत छल के अपराध के लिए झूठा प्रतिनिधित्व करना आवश्यक तत्वों में से एक है। यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त द्वारा स्पष्ट शब्दों में झूठा बहाना बनाया जाए। इसे संपत्ति प्राप्त करने में अभियुक्त के आचरण सहित सभी परिस्थितियों से अनुमानित किया जा सकता है। वस्तुस्थिति में, प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा कपटपूर्ण उद्देश्य को साबित करना हमेशा संभव नहीं होता है। इसे कई ऐसी परिस्थितियों से साबित किया जा सकता है जिनसे एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सके।"

(13) अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों के परीक्षण और उपरोक्त अभियोजन साक्षियों, अर्थात राम कुमार (अ.सा.-1), अश्वनी कुमार (अ.सा.-6), बसंत कुमार (अ.सा.-7), भकला राम (अ.सा.-9) और शिव प्रसाद (अ.सा.-18) के परिसाक्ष्य पर विचार करने के बाद, मुझे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्णय और निष्कर्षों में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली है जिससे इस दाण्डिक पुनरीक्षण में हस्तक्षेप किया जा सके। इसलिए, यह पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .... Aniruddha Shrivastava , Advocate